(वाद संख्या–4098/17)

06.12.2019

परिवादी, पूनम देवी, उपस्थित हैं।

परिवादी को सुना।

वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से मांगा गया प्रतिवेदन अप्राप्त है।

प्रस्तुत परिवाद, परिवादी, पूनम देवी, मु0–भँवर पोखर, मुसहरी, थाना–पीरवहोर, जिला–पटना द्वारा दाखिल किया गया है। आज आयोग के समक्ष सुनवाई के क्रम में परिवादी ने अपने बयान में बताया कि उपरोक्त दाखिल परिवाद प्रेम–प्रसंग से जुड़ा है जिसमें परिवादी का पुत्र, राज कुमार, द्वारा अपने पड़ोस के रहने वाले शैलेन्द्र माँझी की पुत्री को शादी की नियत से अगवा कर लिया गया था, उसी मामले में परिवादी के पति, संजय माँझी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। परिवादी के पुत्र, राज कुमार की गिरफ्तारी हेतु पुलिस अनुसंधान कर रही हैं।

अब, जबकि उपरोक्त प्रसंगाधीन मामले में पुलिस एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है तथा अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु मामले का अनुसंधान जारी है, तो ऐसी स्थिति में आयोग के स्तर से उन आपराधिक मामले पर कोई आदेश/निर्देश/विचार व्यक्त किया जाना उचित नहीं होगा।

उक्त के आलोक में प्रसंगाधीन मामले को बंद किया जाता है।

तद्नुसार परिवादी को सूचित कर दिया जाय।

ह0/–

(उज्ज्वल कुमार दुबे)

कार्यकारी अध्यक्ष

सहायक निबंधक